FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु जिला बाड़मेर

नवलाराम बनाम धर्माराम कौरा

किस्म मुकदमा राजस्व आवे॰ नं. 37 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/02/21	~~प्रार्थी~~/वादी/~~अपीलांट~~ के वकील श्री घमण्डाराम सारण ने यह प्रार्थना पत्र/~~दावा~~/अपील धारा 111,128 RCR Act राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 24/03/21 को पेश हो। [signature] 11/2/2021 सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
24/03/21.	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील मय तामील मयाफ्त श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 13/04/21 को पेश हो।	
13/04/2021	अवकाश होने से पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील कुन्दा प्राप्त जिसे शामिल [illegible] गया। विप्रार्थीगण [illegible] श्रीमान पीठासीन अधिकारी [illegible] से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 24/06/21 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:25:34 IST
Reason: SelfAttested

24/06/21 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 01/11/2021 को पेश हो।

01/11/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 24/12/2021 को पेश हो।

24/12/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत सेठा सेठ आये हुए हैं प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मेडे व कोठे आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये हैं जिससे प्रार्थी को अपने खेत के सेठो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है खेत के सेठो को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है प्रार्थी को अपने खेत के सेठो का सही ज्ञान करने हेतु नेपमवन्दी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेपमवन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमवन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपमवन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू अभिलेख निरिक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की नेपमवन्दी [illegible] जमाबन्दी करें। पालना रिपोर्ट [illegible] पत्रावली हो, पत्रावली फैसल [illegible] से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:25:34 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1538 दिनांकः– 24/12/21

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. नवलाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट, निवासी मायलों की ढाणी पटवार मण्डल झाक तहसील बायतु (बाड़मेर)		1. धर्माराम पुत्र रतनाराम वगैरा 12 जाति जाट, निवासी मायलों की ढाणी पटवार मण्डल झाक तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 37 / 2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – मायलों की ढाणी, पटवार मण्डल – झाक, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 425, 717/668 रकबा क्रमशः 16.5845, 9.6837 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1539-43 दिनांकः– 24/12/21

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का झाक को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री नवलाराम पुत्र पुरखाराम
4. विप्रार्थी श्री धर्माराम पुत्र रतनाराम वगैरा 12
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:25:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु